पूर्व मध्य रेल

सं0–ईसीआर / एचआरडी / 254 / अनुदेशक / क्षे0रे0प्र0सं0 / पार्ट–3 दिनांक 02 .09.2019

प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक / पूमरे / हाजीपुर।
सभी विभागाध्यक्ष, पूमरे / हाजीपुर।
प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी, पूमरे / हाजीपुर।
सी.एफ.टी.एम. / पूमरे / हाजीपुर।
मंडल रेल प्रबंधक (का0), पूमरे / मुगल0, धनबाद, समस्तीपुर, दानापुर, सोनपुर।

अधिसूचना

विषयः– क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर के लिए नागरिक एवं सुरक्षा अनुदेशक (G.P.4200/-, Level-6, As per 7th PC) के बाह्य संवर्ग पद पर चयन के संबंध में।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर में **नागरिक एवं सुरक्षा अनुदेशक** (Ex-Cadre Post) के निम्नलिखित पद पर आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

पदनाम	लेवल	रिक्तियाँ	अभ्युक्ति
नागरिक एवं सुरक्षा अनुदेशक	Level-6 (As per 7th PC) G.P. 4200/- (As per 6th PC)	01	समान ग्रेड पे या एक ग्रेड पे नीचे (कम से कम 02 वर्ष सेवा–अवधि के साथ) के कर्मचारी (MACP के तहत् वित्तीय उन्नयन के अंतर्गत मिले ग्रेड पे की गणना नहीं की जाएगी)।

1.पात्रता की शर्तें :–

(i) यातायात विभाग के कर्मचारी (लिपिकीय कर्मचारी को छोडकर) आवेदित पद के समान ग्रेड पे के पद पर कार्यरत हों।
(ii) यातायात विभाग के कर्मचारी (लिपिकीय कर्मचारी को छोडकर) आवेदित पद के एक ग्रेड पे नीचे के पद पर नियमित रुप से कम से कम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण किये हो।
(iii) रेलवे में उनकी कुल सेवा 10 वर्ष या उससे अधिक की हो।
(iv) अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सामान्यतः 52 वर्ष होनी चाहिए (जिसकी गणना अधिसूचना जारी होने की तिथि से की जायेगी)।

2. पात्रता की अनिवार्य शर्ते :–

राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज, नागपुर से सिविल डिफेंस अनुदेशक कोर्स उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

3.चयन की प्रकिया :–

उक्त पद पर चयन Preliminary Screening/Class-room Test उत्तीर्ण होने के उपरांत लिखित परीक्षा तथा सेवा अभिलेखों एवं गोपनीय रपट पर आधारित होगा। Preliminary Screening/Class-room Test 25 अंको का होगा एवं लिखित परीक्षा 75 अंकों का होगा। अर्हक अंक 60% होगा।

4.अन्य सेवा शर्ते :–

(i) चयनित कर्मचारियों की ZRTI में **Tenure basis** पर कम से कम 03 वर्ष की होगी एवं अधिकतम 08 वर्ष तक के लिए होगी। कार्य संतोषप्रद नहीं रहने पर प्रशासन कर्मचारी को पैतृक इकाई में वापस करने के लिए स्वतंत्र होगा।
(ii) कर्मचारी का लियन उनके पैतृक विभाग / मंडल / रेल में ही रहेगा।
(iii) इन पदों पर पहले से कार्य कर चुके अनुदेशक प्रशिक्षण केन्द्र छोडने के 03 वर्ष के पश्चात आवेदन देने के पात्र होगे।
(iv) आयु, सेवा–अवधि आदि की गणना हेतु Cut of date अधिसूचना जारी होने की तिथि होगी।
(v) चयन हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम की प्रति अधिसूचना के साथ संलग्न की जाती है।
(vi) रेलवे बोर्ड के पत्र सं0–E(MPP)2012/3/28 Dated : 06.10.2017 के अनुसार चयन के उपरांत अनुदेशक पद पर कार्य करने हेतु कर्मचारी को उसके Basic Pay का 12% Teaching Allowance के तौर पर देय होगा।

क्रमशः पृष्ठ 02 पर.......

5.विकल्प भेजने की प्रक्रिया :–

कृपया सभी संबंधित विभाग / कार्मिक अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय के सूचना पर इसे लगावें तथा इस अधिसूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय। **कर्मचारी अपना आवेदन अपने संब विभाग में जमा करें। संबंधित विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को पत्र के साथ सुपुर्द करेगा। कार्मिक वि आवेदनों में दर्ज सेवा विवरणी की जॉच करते हुए पत्र के साथ निर्धारित तिथि दिनांक–30.09.2019 मुख्यालय, हाजीपुर के कार्मिक विभाग को भेजें। इसके बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाये यदि मंडल में कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो Nil Statement भी भेजी जाय।**

(प्रभात कुमार)
सकाधि (एमपीपी)
कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक / हाजीपुर

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधानाचार्य / क्षे0रे0प्र0सं0 / मुजफ्फरपुर।
2. वरि0 कार्मिक अधिकारी (भर्ती), पूमरे / हाजीपुर।

कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक / हाजीपुर

OS/IT

आवेदन का प्रारूप

1. कर्मचारी का नाम :–
2. पिता का नाम :–
3. जन्म तिथि :–
4. अधिसूचना जारी होने की तिथि को आवेदक का उम्र :–
4. रेलवे में सेवा की कुल अवधि :– वर्ष ——— माह —— दिन ——
5. शैक्षणिक योग्यता :–
6. नियुक्ति तिथि :–
7. वर्तमान कार्यस्थल :–
8. वर्तमान पद एवं ग्रेड पे :–
9. वर्तमान पद पर नियमित पदोन्नति तिथि :–
10. वर्तमान पद पद पर कुल सेवा अवधि :– वर्ष माह दिन
11. समुदाय :– (SC,ST,OBC,UR)
12. विभागीय योग्यता :–
13. विभागीय परीक्षा उर्तीण का वर्ष :–

    (क) कोचिंग (ख) उच्च परिचालन (ग) गुड्स
14. नियमित पदोन्नति की तिथि :–

    (क) ग्रेड पे 2800 में पदोन्नति –नियुक्ति की तिथि:–

    (ख) ग्रेड पे 4200 में पदोन्नति /नियुक्ति की तिथि :–

    (ग) ग्रेड पे 4600 में पदोन्नति– नियुक्ति की तिथि :–
15. अनुदेशक के पद पर पूर्व में कार्य करने का विवरण , यदि कोई हो तोः–

    (i) कब से कब तक :–

    (ii) किस ग्रेड में :–

    (iii) किस प्रशिक्षण केन्द्र में :–

    (iv) मूल संवर्ग में वापसी की तिथि :–

स्थान :–

दिनांक :–

कर्मचारी द्वारा इस आवेदन में दिए गए विवरण सही है और इनका आवेदन पत्र अग्रसारित किया गया है।

विभागीय अधिकारी का हस्ताक्षर

पदनाम

स्थान

दिनांक–

नागरिक सुरक्षा अनुदेशक (5500-9000) के लिए पाठ्यक्रम ।

1. नागरिक सुरक्षा इसकी आवश्यकता, परिभाषा एवं शांति के समय इसकी आवश्यकता। देश में नागरिक सुरक्षा संगठन ।
2. परम्परागत युद्ध संग्राम एवं नवीनतम युद्ध संग्राम।
3. बम अत्यन्त विस्फोटक, इन कोनडेरी, नाभकीय एवं रसायनिक ।
4. अग्नि शमन दल, उपस्कर, इसके विभिन्न प्रकार एवं प्रयोग।
5. दहन (आग) एवं आग बुझाने का सिद्धान्त। हल्के आगें का परिणाम एवं नियंत्रण, बलयकार जल पम्पों एवं अग्निशामकों का प्रयोग।
6. जिन्दा बमों की खोज करना, सुरक्षा, एहतीयात एवं रिपोर्टिंग प्रक्रिया नष्ट करना ।
7. नाभकीय युद्ध संग्राम, नाभकीय हथियार, इसका प्रभाव एवं संरक्षा।
8. रसायनिक एवं जैविक युद्ध संग्राम।
9. शरणगृहों का संकेत, प्रमुख्य, रक्षा सिद्धान्त एवं शरण गृहों के प्रकार, उन पर नियंत्रण, शरणार्थी कमरे, संकरी खाई खोदना आदि।
10. नागरिक सुरक्षा में प्रशिक्षण की व्यवस्था।
11. आपात काल के दौरान आवश्यक सेवायें एवं उनका अनुरक्षण।
12. नागरिक सुरक्षा संगठनों एवं उनके कार्यों तथा इनके उपस्करों का प्रयोग करना।
13. संचार सेवा, आपात काल परिचालन केन्द्र, प्रसांगिक कार्य।
14. प्रसांगिक प्रक्रियाओं की रिपोर्टिंग रिपोर्ट का प्रकार दूरभाष पर संकेत।
15. वार्डेन की सेवाएं/संगठन, कार्य एअर रेड से पूर्व के दौरान एवं बाद में। वार्डेन की कर्तव्य, वार्डेन पद का उपकरण एवं अभिलेख।
16. संगठन एवं शीघ्र दौड़ने वाली पार्टी का कर्तव्य।
17. रिपोर्ट एवं इसके प्रकार उपयोगिता और सावधानियां, गांठ एवं रस्सियां।
18. स्टेकर, सीढ़ी, हताहत को सुरक्षित करना।
19. बचाव-इसके विभिन्न तरीके, साधारण बचाव उपस्करों का प्रयोग, बचाव की आपात कालीन विधियां। फायरमैन की लिफ्ट आदि।
20. मनोवैज्ञानिक युद्ध संग्राम, अफवाह, भगदड़।
21. प्रकाश रोक - रेलवे प्रकाश का प्रतिबन्ध है।
22. प्राथमिक उपचार बल। इसका उद्देश्य इनके उपकरण एवं कार्य।
23. मानव शरीर का ढांचा - श्वसन प्रणाली, सदमा, अचेतन, फ्रैक्चर, जोड़ोपर चोट, घाव आदि विभिन्न मामलों में प्रथम उपचार ।
24. सामान्य संगठन और नागरिक सुरक्षा कल्याण सेवा का कार्य, कल्याणकारी व्यवस्था जैसे आकस्मिक संकट में भोजन, आकस्मिक संकट में शरण, वेदखली, सूचना एवं आकस्मिक संकट में वस्तु आदि देना।
25. संकटकाल के दौरान मृत शरीरों की व्यवस्था।